



फा.सं.: 2/के.सं.वि./वै.पि/पुस्तकालय /2022-23/
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

वेदव्यास परिसर, बलाहर, तहसील देहरा, कागड़ा-177108 (हि.प्र)


फा.सं.:1-356/2020-21/के.सं.वि./वै.पि/102

12-01-2023

पुस्तकालय सूचना

पुस्तकालय विकास समिति की बैठक दिनांक 05.01.2023 में एजेंडा बिन्दु न. 6 की संस्तुति की अनुपालना और सक्षम अधिकारी के निर्देश के अनुसार परिसर के सभी अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा ।

क.सं.	अध्यापकों को पुस्तकों का निर्गमण	अवधि	विलम्ब शुल्क
1.	कुल पॉच पुस्तकें (विषय से सम्बंधित)	छह महीने या एक सत्रार्द्ध	छह महीने के बाद एक रु प्रति पुस्तक
2.	कुल दस पुस्तकें (किसी भी विषय की)	एक महीना	एक महीने के बाद एक रु प्रति पुस्तक


12.01.2023
प्रो. मदनमोहन पाठक
(निदेशक)

निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. समस्त अध्यापकों को सूचनार्थ
2. सम्बद्ध पंजिका
3. कार्यालय सूचना पंजिका
4. डिजिटल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु




फा.स.: 2/के.सं.वि./वै.पि/पुस्तकालय /2022-23/
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

वेदव्यास परिसर, बलाहर, तहसील देहरा, कागड़ा-177108

कार्यालय आदेश 94

30-08-2022

पुस्तकालय विकास समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 में एजेंडा बिन्दु न. 8 की संस्तुति की अनुपालना के सन्दर्भ में सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक: 01.09.2022 से सभी छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकों का निर्गमन 15 दिनों के बजाए 30 दिनों के लिए किया जाएगा। 30 दिनों के बाद पुस्तकालय के नियमानुसार छात्रों से विलम्ब शुल्क लिया जाएगा।


30.8.2022
प्रो. मदन मोहन पाठक
प्राचार्य

निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. समस्त छात्रों को सूचनार्थ
2. सम्बद्ध पंजिका
3. कार्यालय सूचना पंजिका
4. डिजिटल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु